मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर–दिसम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 1996 (अग्रहायण 22, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बी.आर. यादव, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 1993-94 (संचालक स्थानीय निधि लेखा द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमंडल की टिप्पणी) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य, उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ऊर्जा मंत्री :-

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1996-97 ;

(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 ; तथा

(ग) निजी क्षेत्र में सौंपी गयी विद्युत परियोजना से संबंधित विद्युत क्रय अनुबंध (पी.पी.ए.) दिनांक 11 नवम्बर, 1994 एवं दिनांक 27 मई, 1996 , पटल पर रखेंगे.

(4) श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), मार्च 1990 से दिसम्बर 1992 तक की अवधि में शहरी क्षेत्र में भूमि अन्तरणों के संबंध में गठित जांच समिति के प्रतिवेदन क्रमांक वि.प्रा.2 रायपुर विकास प्राधिकरण पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री बद्रीलाल यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले में राहत कार्य के श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री देवलाल दुग्गा, राजाराम तोड़ेम, सदस्य, बस्तर जिले के आदिवासियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री गिरिराज मण्डलोई, कमल पटेल, डॉ. माधवप्रसाद शास्त्री, सदस्य, मध्यप्रदेश तिलहन संघ द्वारा किसानों की फसल का भुगतान न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, भोपाल में पुलिस की मिली भगत से एक व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री कंकर मुंजारे, रामलखन सिंह (त्यौंथर), रामलखन शर्मा, सदस्य, दुर्ग जिले में श्रमिकों द्वारा आंदोलन किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री प्रेम सिंह सिदार, सदस्य, रायगढ़ जिले में मलेरिया का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, कांकेर लोक निर्माण उप संभाग अन्तर्गत भ्रष्टाचार होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री गोपाल परमार, सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, उज्जैन संभाग में अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल नष्ट होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री बच्चन नायक, सदस्य, रायसेन जिले की सोम डिस्टिलरी द्वारा शराब की अवैध बिक्री किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री किशोरी लाल वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के बुरहानपुर वन मंडल में वन कर्मियों द्वारा मजदूरों का शोषण एवं भ्रष्टाचार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, सदस्य, भिलाई स्थित केडिया उद्योग की इकाईयों से मजदूरों को निकाल दिये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, इन्दौर जिले की बरलई शुगर मिल द्वारा गन्ना कृषकों का भुगतान न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री रघुनंदन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले के जीरापुर कस्बे में डकैती एवं हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, ग्वालियर स्थित जीवाजी विश्व विद्यालय से संबद्ध विधि छात्रों के उपाधि पत्र निरस्त किये जाने की ओर राज्यमंत्री उच्च शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, ग्वालियर जिले के भांडेर नहर प्रणाली से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले के ग्राम खनगढ़ के एक आदिवासी की पिटाई होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्रीमती करुणा शुक्ला, श्री गंगूराम बघेल, सदस्य, रायपुर जिले में मस्तिष्क ज्वर से कई मौतें होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री शंकर प्रताप सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले में कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) सर्वश्री रमेश चन्द्र सिंह राठौर, पूरनमल शर्मा, सदस्य, खण्डवा में पदस्थ उप पंजीयक द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री राजाराम तोड़ेम, सदस्य, बीजापुर विधान सभा क्षेत्र में गलघोटू की बीमारी से पशुओं की मौत होने की ओर पशुधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्रीमती गीतादेवी सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के जल संसाधन उप संभाग अन्तर्गत निर्माण कार्यों का भुगतान न किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(22) श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, रायपुर जिले के ग्राम तिल्दा के श्रमिकों को उत्तरप्रदेश में बंधक बनाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(23) डॉ. ढालसिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले में चंदन वन की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 186-मंडला से निर्वाचित सदस्य, श्री छोटेलाल उइके, को विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 1996 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री बाबूलाल जैन, सभापति, लोक लेखा समिति का 76वां, 77वां, 78वां, 79वां, 80वां, 81वां, 82वां, 83वां, 84वां, 85वां, 86वां, 87वां, 88वां, 89वां, 90वां, 91वां, 92वां, 93वां, 94वां, 95वां, 96वां, 97वां, 98वां एवं 99वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री अम्बिका प्रसाद शुक्ल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अस्सीवां, इक्यासीवां, बयासीवां, तिरयासीवां, चौरासीवां, पिच्चासीवां एवं छियासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री सुरेश चौधरी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सभापति, याचिका समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(6) श्रीमती जून चौधरी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

6. प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्री भगवान सिंह यादव, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सागर के पुलिस कर्मियों के आचरण की जांच हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय".

(2) श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, सभापति विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" विशेषाधिकार समिति के समक्ष विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय".

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के -
(क) ग्राम शिकारी टोला के कृषकों को फसल बीमा का लाभ दिलाये जाने ;
(ख) ग्राम झीथरा टोला के कृषकों को फसल बीमा का लाभ दिलाये जाने ;
(ग) मटिया मोती जलाशय वेस्ट वियर पर पुल निर्माण कराये जाने ; तथा
(घ) ग्राम गोड़लवाही स्थित हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने ,
के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

8. उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का वक्तव्य

श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), दिनांक 6 अगस्त, 1996 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्रमांक 681) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 30 मि.

श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण विधेयक, 1996 (क्रमांक 30 सन् 1996) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में - चर्चा का पुनर्ग्रहण.

11. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
20 मि. " सदन का यह मत है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के अन्तर्गत संस्कृत उच्च प्राध्यापन शिक्षा संस्थान की स्थापना की जाय ".

(2) श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-
45 मि. " यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि विधान सभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय".

(3) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
20 मि. " यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि विधान सभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम अर्हताकारी आयु सीमा 21 वर्ष रखी जाय".

(4) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
20 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी झील व छोटी झील को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु भोज वेट लैण्ड परियोजना का क्रियान्वयन एवं झील के सौन्दर्यीकरण के लिये लेक व्यू स्ट्रीट और हाई लेवल ब्रिज का निर्माण समय सीमा में किया जाय".

(5) श्री चन्द्रप्रकाश बाजपेयी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
45 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश में प्रस्तावित नये जिलों के गठन के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक नये विकास खण्डों के गठन हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाय".

12. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 10 दिसम्बर, 1996 को वन मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्रमांक 186) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 27 नवम्बर, 1996 को गृह मंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 240) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 12 दिसम्बर, 1996